UPJS100001762011

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) /ए०सी०जे०एम० ,गरौठा ,जनपद–झाँसी।

पीठासीन अधिकारी- (MAYANK PRAKASH) , **(यू०पी०आई०डी०नं०) - UP02293**

परिवाद सं०- 355/ 2011

सुरेन्द्रपाल बनाम राजेन्द्र आदि ।

धारा- 323,379,504 ,506 भा०द०सं० ।

थाना- एरच ,जिला- झाँसी ।

दिनांक- 22. 07. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी । अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह ,राजबहादुर सिंह ,गन्धर्व सिंह व लला उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह उपस्थित । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 245 द०प्र०सं० दिनांकित- 28. 11. 2025 पर सुना गया ।

2. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 245 दं०प्र०सं० दिनांकित- 28. 11. 2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त परिवाद में अभी तक किसी भी प्रकार के बयान 244 जा०फौ० के नहीं हुए हैं । इस कारण वाद अकारण ही न्यायालय में चल रहा है इसलिए उक्त वाद डिस्चार्ज कर अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना आवश्यक है । याचना की गई है कि अभियुक्तगण को उक्त वाद से उन्मोचित किया जाये ।

3. अवलोकन किया गया ।

4. अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी प्रस्तुत प्रकरण में धारा- 244 द०प्र०सं० के साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आ रहा था । जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा परिवादी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा - 244 दं०प्र०सं हेतु कई अवसर प्रदान किये गये परंतु परिवादी न्यायालय उपस्थित नहीं आया और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और न ही परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया जा रहा था । जिस कारण न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक- 18. 07. 2025 को परिवादी का साक्ष्य अंतर्गत धारा- 244 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त कर दिया गया एवं पत्रावली वास्ते आरोप / उन्मोचन हेतु नियत की गयी । इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 245 दं०प्र०सं० दिनांकित- 28. 11. 2025 प्रस्तुत कर उक्त वाद से अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गई । जिस पर न्यायालय द्वारा परिवादी को आपत्ति का अवसर भी प्रदान किया गया । परंतु परिवादी न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति हेतु भी उपस्थित नहीं आया । जिस कारणवश न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक- 21. 01. 2026 को परिवादी का आपत्ति का अवसर समाप्त कर दिया गया ।

धारा - 245 द०प्र०सं० यह उल्लेखित करती है कि अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जायेगा-

i- यदि धारा - 244 द०प्र०सं० में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ, जो अखण्डित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिये समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा ।

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.07.22 16:54:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ii- इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जायेगी, जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।

5. न्यायालय द्वारा परिवादी की साक्ष्य अंतर्गत धारा- 244 द०प्र०सं० का अवसर समाप्त किया जा चुका है। पत्रावली में परिवादी की ओर से कोई भी साक्ष्य अतंर्गत धारा- 244 द०प्र०सं० में उपलब्ध नहीं है , न ही कोई ऐसा तथ्य आया है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद के कथानक के अनुसार कोई भी मामला बनता हो। न्यायालय ने परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को आधारहीन पाया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण धारा - 245(2) दं०प्र०सं० में उन्मोचित किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **राजेन्द्र सिंह ,शिवनन्दन ,राजबहादुर सिंह ,गन्धर्व सिंह** एवं **लला उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह** को दाण्डिक परिवाद संख्या - 355/ 2011, अन्तर्गत धारा - 323,379,504,506 भा०द०सं० साक्ष्य के अभाव में धारा- 245 (2) दं०प्र०सं० के प्राविधानों के तहत उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक बीस हजार रूपये का बन्ध- पत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करें। जो कि अग्रिम छः माह तक इस शर्त के साथ प्रभावी रहेंगे कि यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति अपेक्षित की जाती है तो अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। छः माह व्यतीत होने के बाद अभियुक्तगण द्वारा निष्पादित बन्ध- पत्र व जमानतदार अपने दायित्वों से स्वतः उन्मोचित हो जायेंगे।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 22. 07. 2026

(मयंक प्रकाश)

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा ,जनपद- झाँसी।

J. O. Code- UP2293